प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 129/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'वायरलाइन पहुंच सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर ड्राफ्ट सिफारिशें जारी की ।

नई दिल्ली, 31.12.2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'वायरलाइन पहुंच सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर ड्राफ्ट सिफारिशें जारी की हैं।

2. लाइसेंसधारक पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए रोल–आउट दायित्वों और अन्य लाइसेंस शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी लागू प्रणालियों का व्यावसायिक सेवाओं के शुरू होने से पहले परीक्षण किया जाए, क्योंकि लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवा लाइसेंसदाता या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा तय सेवा की गुणवत्ता के मानकों (क्यूओएस) और अन्य शर्तों को पूरा करती है।

3. दूरसंचार विभाग ने 9 सितंबर 2016 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल द्वारा पालन की जा रही पूर्ववर्ती पद्धतियों के आधार पर लाइसेंसधारकों द्वारा नेटवर्क परीक्षण किया जा रहा है; और सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ऐसे लाइसेंसधारकों द्वारा टेस्ट सिम कार्ड जारी किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए जारी वर्तमान लाइसेंस, लाइसेंसधारकों द्वारा सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के लिए किसी भी समय अवधि को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। इसलिए, दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह व्यावसायिक लॉन्च से पहले परीक्षण उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं के नामांकन, परीक्षण अवधि की समयावधि आदि सहित सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क के परीक्षण पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। समुचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, भादूविप्रा ने 04.12.2017 को अपनी सिफारिशें जारी की ।

4. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 09.10.2018 के पत्रांक 20–577/2016–एएस–1 द्वारा भादूविप्रा की दिनांक 04.12.2017 की सिफारिशों के आधार पर व्यावसायिक सेवाओं के लांच से पहले नेटवर्क परीक्षण के मापदंड निर्दिष्ट किए हैं।

5. दूरसंचार विभाग ने 16.07.2019 के पत्रांक 20–577/2016–एएस–1 द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया कि सरकार ने "सेवाओं के व्यावसायिक लांच से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर भादूविप्रा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय लिया गया है कि भादूविप्रा से वायरलाइन पहुंच सेवाओं के लिए समान सिफारिशें देने का अनुरोध किया जाए। दूरसंचार विभाग ने अनुरोध किया है कि वायरलाइन पहुंच सेवाओं के व्यावसायिक लांच से पहले नेटवर्क परीक्षण पर सिफारिशें भादूविप्रा अधिनियम 1997, भादूविप्रा संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यथा संशोधित के खंड 11 (1) (क) के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती हैं।

6. मोबाइल सेवाओं के व्यवसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के मानदंडों के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए अधिकांश मुद्दे, वायरलाइन पहुंच सेवाओं के लिए समान रूप से लागू हैं। हालांकि, दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार, ड्राफ्ट सिफारिशों पर यह परामर्श पत्र वायरलाइन पहुंच सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के मानदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जारी किया जा रहा है।

7. ड्राफ्ट सिफारिशों पर परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in. पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 30.01.2020 तक और प्रति–टिप्पणी, यदि कोई हो, 13.02.2020 तक आमंत्रित की गई हैं।

6. टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में pradvnsl@trai.gov.in या rksingh@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर + 91–11–23233291 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।